न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—223/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/223)

1. श्रीमती दाखू देवी पत्नि स्व0 देवीसिंह, आयु 63 वर्ष,
2. तृष्णा पुत्री स्व0 देवीसिंह, आयु 29 वर्ष,
3. दुर्गा पुत्री स्व0 देवीसिंह, आयु 26 वर्ष,

समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम खेडाकला (बड़ाखेड़ा) हाल बामनहेड़ा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. खंगारसिंह पुत्र विजयसिंह उर्फ बज्जा, उम्र लगभग 70 वर्ष जाति रावत,
2. किशनसिंह पुत्र विजयसिंह उर्फ बज्जा (मृतक) जरिये वारिसानः—
   2/1— सुगना देवी बेवा किशनसिंह,
   2/2— बलवीर सिंह पुत्र स्व0 किशनसिंह,
   2/3— राजेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 किशनसिंह,
   2/4— सुनिता पुत्री स्व0 किशनसिंह,
   2/5— रेखा पुत्री स्व0 किशनसिंह,
   2/6— शीला पुत्री स्व0 किशनसिंह,
   2/7— मंजू पुत्री स्व0 किशनसिंह,
3. देवी पुत्री खूमसिंह, आयु लगभग 73 वर्ष
4. पन्नी पुत्री खूमसिंह, आयु लगभग 68 वर्ष

समस्त निवासीगण ग्राम खेडाकला (बड़ाखेडा), तह0 ब्यावर, जिला अजमेर

प्रत्यर्थीगण/ रेस्पोडेंटस

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर, दिनांक 2.6.2014 अंतर्गत वाद संख्या 83/2007.

उपस्थितः—

1. श्री एहतेराम चिश्ती, अभिभाषक अपीलांटस ।
2. श्री दिलीपसिंह राठौड़ अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1, 3 व 4.
3. श्री विकास पराशर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 5.
4. रेस्पोडेंट संख्या 2/1 से 2/7 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः—04.05.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 83/2007 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 2.6.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

Scanned with CamScanner

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेंटस ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद अंतर्गत धारा 53, 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद में वर्णितानुसार भूमियां कुल किता 30 कुल रकबा 19-03-00 जो कि ग्राम खेडाकंला (वडाखेडा) तहसील ब्यावर में स्थित है बावत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त भूमियों में वादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा तथा वादिया संख्या 3 व 4 का एवं स्वंय देवीसिंह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/3 का 1/2 हिस्सा निहित है। स्व0 देवीसिंह अपने पिता स्व0 विजयसिंह उर्फ बज्जा के जीवनकाल में ही अपने चाचा स्व0 खूमसिंह के गोद चला गया था तथा स्व0 खूमसिंह की चल व अचल सम्पति उसे उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी । स्व0 देवीसिंह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/3 ने राजस्व रिकार्ड में तथ्यों को छिपाकर नामांतकरण के जरिये रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया, जबकि उनका वादग्रस्त भूमि में 1/18 हिस्सा ही प्रत्येक का निहित है । नामांतकरण के दौरान वादीगण को सुनने का अवसर प्रदान नहीं किया गया । अतः वाद वादीगण स्वीकार कर विवादित आराजियात का पक्षकारान के मध्य मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवारा किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। विद्वान अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 2.6.2014 द्वारा वादीगण/रेस्पो0 का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर वादी संख्या 1 से 4 का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/3 का हिस्सा संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करने का अधिकारी होने का निर्धारित कर राजस्व रिकार्ड में तद्नुसार पृथक-पृथक खाते खोलकर व लगान कायम कर, नक्शा तरमीम कर तहसीलदार को बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के आदेश पारित किये। अपील प्रकरण संख्या 83/2007 में पारित न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 2.6.2014 से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 2/1 से 2/7 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने सर्वप्रथम दिनांकित 27.09.2022 एवं दिनांकित 11.01.2023 प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर कथन किया कि अपील के विचाराधीन रहते अपीलार्थीगण को अपने पुराने दस्तावेजात में वादग्रस्त आराजीयात से सम्बन्धित प्रकरण संख्या 165/1951 से सम्बन्धित आदेश दिनांकित 01.05.1951 तथा उक्त आदेश दिनांक 01.05.1951 प्राप्त हुआ है तथा साथ ही मौजूदा प्रकरण के प्रत्यर्थीगण द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.),ब्यावर में प्रस्तुत दीवानी वाद संख्या 35/2011 = 95/2013 बउनवानी श्रीमती देवी व अन्य बनाम देवी सिंह व अन्य दिनांकित 05.01.2011 प्राप्त हुई है जिन्हे रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात प्रकरण की विषयवस्तु से सम्बन्धित होने के साथ-साथ प्रकरण में उल्लेखित अभिकथनों की समपुष्टि सम्बन्धि तथा न्यायिक दस्तावेजात होने के साथ साथ संदेह से परे व जिनाईन दस्तावेजात की श्रेणी में होने से रिकार्ड पर लिये जाने आवश्यक व न्यायोचित है तथा अपील के विचाराधीन रहते अपीलार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत किया था। जिसका निस्तारण मान्नीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.2022 को किया जाकर वादग्रस्त आराजियात से सम्बन्धित मिलान क्षेत्रफल की प्रस्तुती हेतु अपीलार्थीगण को निर्देश दिये है जिसकी पालना स्वरूप मौजूदा प्रार्थना पत्र के साथ वादग्रस्त आराजीयात से सम्बन्धित हाल ही में प्राप्त प्रमाणित प्रति मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया

Scanned with CamScanner

जा है जिसको रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त दस्तावेज जिनमें वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित न्यायालय श्रीमान् कलक्टर, अजमेर मेरवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 165/1951 में पारित आदेश दिनांक 01.05.1951 की प्रमाणित प्रति था उक्त आदेश की पालनार्थ स्वरूप निष्पादित पंजीकृत पट्टा विलेख दिनांकित 09.07.1951 मय कम्प्यूटीकृत टाईपिंग सहित एवं पक्षकारान के मध्य संस्थित दीवानी वाद संख्या 35/2011 = 95/2013 दिनांकित 05.07.2011 की प्रमाणित प्रति को रिकार्ड पर लिया जाकर उक्त प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करने का आदेश प्रदान करावे।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने अपील बहस में कथन किया कि वादीगण जो यह केस लेकर आए थे कि देवीसिंह ने अपने चाचा खूमसिंह के गोद चला गया, यह गोद जाना वादीगण कतई अपनी साक्ष्य से सिद्ध नहीं कर पाए। इस कारण स्व0 देवीसिंह का अपने पिता श्री विजय सिंह के आधे हिस्से में से 1/3 हिस्सा अपने भाईयों खंगारसिंह व किशनसिंह के साथ बहिस्से बराबर का हक अधिकार जो तय किया उसक साथ–साथ जो यह भी तय कर दिया गया कि पुश्तैनी भूमि होने से खूमसिंह को अपने स्वंय के हिस्से अर्थात् 1/2 हिस्से का 1/3 हिस्सा ही यथा कुल का 1/6 हिस्सा ही वसीयत करने का अधिकार था । अधी0न्याया0 का यह निष्कर्ष अविधिक है क्योंकि वसीयत दिनांक 01.07.1969 रजिस्टर्ड वसीयत है जिसे बिना वाद अनुतोष में शामिल किये बिना तथा इस वसीयत के बाबत् आक्षेप प्रस्तुत किये बिना मात्र विवेचना के आधार पर रजिस्टर्ड वसीयत को अधी0न्याया0 ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री में अविधिक बताया या व खूमसिंह के 1/2 हिस्से में स्वंय के हिस्से तक ही वैद्य माना तथा खूमसिंह की दोनों पुत्रियों वादी संख्या 3 व 4 देवी व पन्नी को बराबर का हिस्सेदार मान लिया है, यह गम्भीर विधिक त्रुटि है । सन् 1969 में पुश्तैनी सम्पति में पुत्रियों का कोई हक, अधिकार नहीं थे तथा जरिये वसीयत खूमसिंह ने स्व0 देवीसिंह को जो अधिकार दिये थे वे अंतिम हो चुके थे । पुश्तैनी सम्पति में पुत्रियों को हक, अधिकार वर्ष 2005 के संशोधन के पश्चात् अर्जित हुए है, यह संशोधन भूतलक्षी प्रभाव का नहीं है, इस कारण वसीयत के जरिए जो हक, अधिकार देवी सिंह को प्राप्त हुए, वह सम्पूर्णतः प्राप्त होंगे, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र वसीयत की सम्पत्ति का 1/3 हिस्सा ही देवीसिंह के पक्ष में निर्धारित किया, जो अविधिक स्थिति है। अतः एव इस आधार पर आक्षेपित निर्णय व डिक्री निरस्त किए जाने योग्य है उल्लेखनीय है कि स्वयं वादी संख्या 3 व 4 ने सिविल न्यायालय में वसीयत को चुनौति दे रखी है, ऐसी स्थिति में जबकि वसीयत विधिक है या अविधिक के बाबत अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, के पश्चात भी आक्षेपित निर्णय व डिक्री में पुश्तैनी सम्पत्ति मानकर पुत्रीयों का हक, अधिकार तय करना व वसीयत को अंशतः अप्रभावी मानना न्यायोचित नहीं है। बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित किये जाते समय तनकी संख्या 5 अनुतोष की विवेचना मे खसरा संख्या 4591 व 4595 में दवीसिंह की वल्दियत खूमसिंह मानते हुए बंटवारा किया जो न्यायोचित नहीं है क्योंकि अधी0न्याया0 स्वंय ने तनकी संख्या 1 के निर्णय में यह माना है कि देवीसिंह को खूमसिंह के गोद जाना वादीगण सिद्ध नहीं कर पाये है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में त्रुटि कारित की है । अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 83/2007 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 2.6.2014 को निरस्त किया जाकर अपीलांटस/प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/3 का वाद विषयक

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

आराजी में वसीयत के अनुसार संपूर्ण हिस्सा तय कर बंटवारा की डिक्री पारित की जावें तथा वादी संख्या 3 व 4 देवी व पन्नी पुत्रियां खूमसिंह के हक, अधिकार का हिस्सा जो आक्षेपित निर्णय व डिक्री में तय किया गया है उसे निरस्त किया जावें । विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2012 डी.एन.जे. (एस.सी.) पेश किया है।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1, 3, 5 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. में कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन कतई असत्य व निराधार कथनों पर आधारित होने से अस्वीकार है चूंकि विपक्षी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पूर्व से ही रिकार्ड पर है एवं आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कानूनन यह बताना अनिवार्य है कि उक्त दस्तावेज पूर्व में अपीलांट के कब्जे में नहीं थे इसी प्रकार उपरोक्त दस्तावेज न्याय निर्णय करने के लिए आवश्यक दस्तावेज है ऐसा कोई कारण विपक्षी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 में अंकित नहीं किया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन कतई असत्य व निराधार कथनों पर आधारित होने से अस्वीकार है चूंकि विपक्षी ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को सुसंगत दस्तावेज बताया है परंतु सुसंगत दस्तावेज किस दृष्टि से है सुसंगत होने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किए है जिससे कि उक्त दस्तावेज सुसंगत दस्तावेज हेा साथ ही उपरोक्त दस्तावेज को विपक्षी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय में उक्त दस्तावेज को रिकार्ड पर नहीं लिया जा सकता है। उक्त दस्तावेज को रेकार्ड पर लिए जोन से उक्त अपील का निस्तारण नहीं हो सकता है और ना ही उक्त अपील का निर्णय करने में उक्त दस्तावेजात सहायक सिद्ध होंगे ऐसी स्थिति में भी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। उपरोक्त दस्तावेज अपीलांट के पास पूर्व से ही मौजूद थे तथा उक्त प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल में चला उस समय अपीलांट द्वारा उक्त दस्तावेजात को पेश नहीं किया गया है और ना ही उक्त दस्तावेजात को पेश करने बाबत कोई कारण बताया गया है विवादित आराजी अपीलांट के कब्जे काश्त में नहीं है अपील को देरीना करेन की गरज से उक्त आवेदन पत्र पेश किया है जो कि चलने योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज योग्य है तथा मिलान क्षेत्रफल भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था जो उनके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा0दी को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1, 3, 5 ने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । स्व0 देवीसिंह अपने पिता विजयसिंह उर्फ बज्जा के जीवनकाल में ही अपने चाचा स्व0 खूमसिंह के अपनी चाची हमीरी की सहमति से गोद चला गया था तथा स्व0 खूमसिंह की चल व अचल सम्पति उत्तराधिकार के रूप में स्व0 देवीसिंह को प्राप्त हो गई थी। हमीरी के सहमति से गोद चला गया था तथा स्वर्गीय खूमसिंह की चल व अचल सम्पति उसे उत्तराधिकार से प्राप्त हुई थी। जिससे उसका मूल पिता की सम्पति में कोई हक व अधिकार नहीं रह गये थे । अपीलांटस ने तथ्य छिपाकर नामांतकरण के जरिये रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया था जबकि अपीलांटस का वादग्रस्त आराजियात में 1/18 हिस्सा ही निहित है । बहस में यह भी कथन किया कि नामांतकरण तस्दीक करते समय रेस्पोडेंट को सुना भी नहीं गया था जिससे उक्त नामांतकरण भी प्रारंभ से अवैध एवं शून्य है। पूर्व में न्यायालय हाजा द्वारा वसीयत को आधार बनाकर प्रकरण को रिमाण्ड कर दिया और पुत्रियॉ को

Scanned with CamScanner

को–पार्शनर की हैसियत से जन्म से अधिकार मानकर यह उल्लेख किया कि खुमसिंह की मृत्यु कब हुई इस बारे में कोई साक्ष्य उपलब्ध नही होने से वादी संख्या 3 –4 को जो हिस्सा दिया गया वह संशोधित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के विपरीत है का निष्कर्ष देते हुए रिमाण्ड कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय प्रस्तुत वाद–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर उभयपक्षकारान की उपस्थित होने एवं जवाब दावा प्राप्त होने पश्चात प्रकरण में तनकीयात कायम की तथा तनकी पर साक्ष्य प्राप्त किये है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन व विश्लेषण कर तनकीवार निर्णय पारित किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

8. हमनें अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों व सलंग्न दस्तावेजात एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।बाद अवलोकन प्रार्थना पत्रों में सलंग्न दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियॉ एवं दस्तावेजात सरकारी होने एवं उक्त विवादित आराजीयात से सम्बन्धित होने के कारण तथा प्रकरण में न्याय निर्णय में सहायक होगें। इसलिए न्यायहित में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 को न्यायहित में स्वीकार कर एवं प्रस्तुत दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाना उचित समझते है। **अतः प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को स्वीकार किया जाकर तथा प्रार्थना पत्रों के साथ सलंग्न दस्तावेजोंत को अपील अभिलेख पर लिए जातें है।**

9. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि ग्राम खेडाकलां (बडा खेडा) तहसील टाडगढ जिला अजमेर में अवस्थित वादग्रस्त आराजीयात कुल किता 30 रकबा 19 बीघा 3 बाबत वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1, 2/1 लगायत 2/7 तथा 3 व 4/वादीगण द्वारा राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था जिस बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त राजस्व वाद को अपने आदेश दिनांक 02.06.2014 के द्वारा प्राथमिक डिक्री किए जाने के आदेश प्रदान किए गए जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा एक अपील संख्या 418/2014 बउनवानी दाखू बनाम खंगार सिंह प्रस्तुत की थी जिस बाबत हाजा न्यायालय द्वारा उक्त अपील को अपने आदेश दिनांक 22.4.2019 को स्वीकार की जाकर उक्त प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किए जाने का आदेश प्रदान किया गया जिसके विरूद्ध देवी पुत्र खूमा एंव पन्नी पुत्री खूमा के द्वारा एक अपील संख्या 2284/2019 बउनवानी देवी बनाम दाखू माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की थी जिस बाबत माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के द्वारा अपने आदेश दिनांक 13.7.2022 को उक्त अपील को स्वीकार की जाकर उक्त प्रकरण पुनः हाजा न्यायालय को पुनः निर्णय पारित किए जाने हेतु प्रतिप्रेषित किए जाने का आदेश प्रदान कर दिया, उक्त आदेश दिनांक 13.7.2022 की पालना में हाजा न्यायालय द्वारा विधिवत रूप सभी पक्षकारों को समुंचित साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान कर उक्त अपील बहस सुनी गई वादग्रस्त आराजीयात बाबत वादीगण/वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1, 2/1 लगायत 2/7 तथा 3 व 4 के द्वारा राजस्व वाद प्रस्तुत किया था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली बाबत समुचित रूप से प्रतिवादीगण/अपीलांट का जवाब प्रस्तुत होने के उपरांत वाद दावे तथा जवाब दावे के आधार पर कुल 5 तनकियां निर्मित कर उक्त राजस्व वाद बाबत वादी एवं प्रतिवादीगण तथा स्वतत्रं गांवों के बयान लेखबद्धकर दिनांक 2.6.2014 में निर्णय पारित किया गया है, हाजा न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश दिनांक 13.7.2022

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

के परिप्रेक्ष में उक्त अपील का तनकीवार निर्णय इस प्रकार से किया जाता है।

तनकी संख्या –1 आया वादीगण वादग्रस्त भूमियों का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या के बीच विभाजन करने का अधिकारी है ? इस तनकी को सिद्व करने का भार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण पर निर्धारित किया था जिसके अनुसार स्वर्गीय देवीसिंह जोकि वादीगण संख्या 1 खंगार सिंह व वादी संख्या किशन सिंह का सगा भाई है को अपने सगे चाचा खूमसिंह को गोद जाना बताया एवं स्वर्गीय बज्जासिंह उर्फ विजय सिंह के हिस्से में कोई हक एंव अधिकार नहीं होने का अंकन किया जबकि वादी खंगार सिंह ने भी अपने बयानों में देवी सिंह को खूमसिंह के गोद जाना बताया है परंतु उक्त गोदनामे संबंधी कोई दस्तावेज साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है तथा और नाही भाट की बही संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया और नाही हाजा न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी भी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पन्नी पत्नी पहाड सिंह पुत्री खूमसिंह के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध बयानों से भी स्पष्ट है कि देवी सिंह कभी खूमसिंह के गोद नहीं गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजात राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2059 से 2062 प्रदर्श–2 वर्किंग जमाबंदी प्रदर्श–1 देवीसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 6.10.2006 इत्यादि के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दस्तावेजों में देवीसिंह की वल्दीयत बज्जासिंह उर्फ विजय सिंह का अंकन अंकित है उक्त दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि देवीसिंह खूमसिंह के कभी गोद नहीं गया तथा वादग्रस्त आराजीयात बाबत कुल किता 30 कुल रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा में वादी संख्या 1 से 4 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/3 (वर्तमान अपीलांट) का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा निर्धारित किया है, इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिनुसार एवं समस्त दस्तावेजों के अवलोकन पश्चात निर्धारित की है जो कि विधि सम्मत प्रतीत होने से सही है। तनकी संख्या–2 आया वादीगण वादग्रस्त भूमियों का विभाजन करवा प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ? इस तनकी को सिद्व करने का भार भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण पर भारीत किया गया है तथा वादग्रस्त आराजीयात बाबत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विजय सिंह उर्फ बज्जा के 3 पुत्र देवी सिंह खंगार सिंह किशनसिंह के तथा खूमसिह के दो पुत्रिया पन्नी व देवी हुई थी तथा तनकी संख्या 1 के द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बाबत वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हिस्सों का निर्धारण किया जा चुका है, तथा उक्त हिस्से बाबत उक्त तनकी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण विधिनुसार तय की गई है, तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बाबत हिस्से निर्धारित कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि इत्यादि प्रतीत नहीं होती है। तनकी संख्या –3 आया वादीगण नामांतकरण संख्या 928 दिनांक 20.12.2006 को अवैध कराने के अधिकारी है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तनकी को सिद्व करने का भार भी वादीगण पर भारित किया गया है चूंकि नामांतरण संख्या 928 दिनांक 20.12.2006 को देवी सिंह की मृत्यु के उपरात विरासत के अंतर्गत तस्दीक किया गया है तथा वादग्रस्त आराजीयात बाबत वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य तनकी संख्या 1 के द्वारा बंटवारा किया जा चुका है इस प्रकार से उक्त तनकी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 1 के अनुसार ही निर्धारित कर उक्त तनकी को विरूद्व वादीगण तय की है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं पाई जाती। तनकी संख्या –4 आया वादीगण का वाद जवाबदावे के पैरा संख्या 2 व 6 में

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

वर्णित तथ्य से वादीगण का वाद खारिज किए जाने योग्य है उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण पर भारित किया गया है, प्रतिवादीगण/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने जवाब दावे में देवीसिंह को खूमसिहं के गोद जाने वाले कथनों को इंकार करतें हुए वादपत्र में अंकित सजरे को गलत बताया तथा वादग्रस्त आराजीयात रजिस्टर्ड वसीयतनामें के आधार पर जवाब कुनिंदा को प्राप्त होने के कथन किए हैं, वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त राजस्व वाद के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा किए जाने हेतु प्रस्तुत हुआ था तथा विधिनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा किया जाना न्यायोचित है तथा वादग्रस्त आराजीयात बाबत अधीनस्थ न्यायालय ,द्वारा बंटवारा किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि इत्यादि अंकित नहीं होने से हाजा न्यायालय द्वारा उक्त तनकी के निस्तारण में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। तनकी संख्या–5 अनुतोष ?

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात खाता संख्या 266 के खसरा नम्बर 4591 व 4595 बाबत वादीगण को पृथ्क से वाद लाने हेतु स्वतंत्रता प्रदान की है। इस प्रकार से वादग्रस्त आराजीयात बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारों को समुचित साक्ष्य एवं सनुवाई का अवसर प्रदान कर तथा वादग्रस्त आराजीयात बाबत सभी दस्तावेजों एवं बयानों के अवलोकन के पश्चात आलौच्य आदेश दिनांक 02.06.2014 को पारित किया है जो कि विधि सम्मत प्रतीत होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 02.06.2014 को यथावत किया जाकर अपील अपीलांटस निरस्त की जाती है।

10. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 83/2007 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 2.6.2014 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 04.05.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner

डिगरी ब सीगे अपील

(ओ.41,रूल35 जाप्ता दिवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "G"-9)

अज अदालत : **राजस्व अपील प्राधिकारी, मुकाम अजमेर।**

ब इजलाशः–राजेन्द्र सिह शेखावत, आर.ए.एस.

श्रीमती दाखू देवी पत्नि स्व0 देवीसिंह जाति रावत निवासी ग्राम खेडाकला(बडाखेडा) हाल बामनहेडा तहसील ब्यावर जिला अजमेर व अन्य।

बनाम

खंगारसिंह पुत्र विजयसिह उर्फ बज्जा, जाति रावत निवासी ग्राम खेडाकला(बडाखेडा) तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

अपील संख्या 223/2022 ब अदालत उपखण्ड अधिकारी,ब्यावर मुवर्खे 02 माह 06 सन 2014, प्रकरण संख्या 83/2007.

दावा बाबत् वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188,राज0 काश्त0 अधिनियम एंव धारा 136भू राजस्व अधिनियम

यह अपील ब तारीख 04 माह 05 सन 2023 रूबरू राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ब हाजिरी श्री एहतेराम चिश्ती,अपीलांट, श्री दिलीपसिंह राठौड़ अभिभाषक रेस्पो संख्या 1,3 व 4, व विकास पाराशर राजकीय अधिवक्ता रेस्पो संख्या 05,रेस्पो संख्या 2/1 से 2/7 अनुपस्थित समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ हैं कि– अपील अपीलांटस खारिज की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 83/2007 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2014 को यथावत् रखा जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जैल तादादी मुवलिक –XXX-. रूपये-- XXX –. अदा करें खर्चा मुकदमा मातहत का– XXX -- अदा करें।)

बस्बत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 04 माह 05 सन 2023 को जारी किया गया।

मोहर (कार्यालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर)

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये	पैसे	रेस्पोंडेन्ट	रूपये	पैसे
1.स्टाम्प अपील	--		1.स्टाम्प वकालतनामा	--	
2.स्टाम्प वकालतनामा	--		2.स्टाम्प अर्जी	--	
3.इजराय हुक्मनामा	--		3.इजराय हुक्मनामा	--	
4.वकील फीस बाबत्	--		4.महनताना वकील	--	
मीजान			मीजान		

नोट:–इस खर्चे के फार्म पर फरीकैन का कुल खर्चा अपील का, चाहे निगरानी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner